Rule 29: Value of supply of goods made or received through an agent

The value of supply of goods between the principal and his agent shall,—

- (a) be the open market value of the goods being supplied, or at the option of the supplier, be ninety per cent. of the price charged for the supply of goods of like kind and quality by the recipient to his customer not being a related person, where the goods are intended for further supply by the said recipient.
 - Illustration: A principal supplies groundnut to his agent and the agent is supplying groundnuts of like kind and quality in subsequent supplies at a price of five thousand rupees per quintal on the day of supply. Another independent supplier is supplying groundnuts of like kind and quality to the said agent at the price of four thousand five hundred and fifty rupees per quintal. The value of the supply made by the principal shall be four thousand five hundred and fifty rupees per quintal or where he exercises the option the value shall be 90 per cent. of five thousand rupees i.e., is four thousand five hundred rupees per quintal.
- **(b)** where the value of a supply is not determinable under clause (a), the same shall be determined by application of rule 30 or rule 31 in that order.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 29: किसी अभिकर्ता के माध्यम से माल की, की गई या प्राप्त प्रदाय का मूल्य प्रधान या उसके अभिकर्ता के बीच माल की प्रदाय का मूल्य,—

(क) प्रदाय किए गए माल का खुला बाजार मूल्य होगा, या प्रदायकर्ता के विकल्प पर प्राप्तिकर्ता द्वारा उसके ऐसे ग्राहक को, जो संबंधित व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल की प्रदाय के लिए प्रभारित कीमत के नब्बे प्रतिशत के समतुल्य रकम होगा, जहां उक्त प्राप्तिकर्ता द्वारा माल की आगे और प्रदाय किया जाना आशयित है;

दृष्टांत: जहां कोई प्रधान, उसके अभिकर्ता को मूंगफली की प्रदाय करता है और अभिकर्ता प्रदाय के दिन उसी प्रकार और उसकी क्वालिटी की मूंगफलियों की प्रदाय पश्चातवर्ती प्रदाययों में पांच हजार रूपए प्रति क्विंटल की कीमत पर कर रहा है। दूसरा स्वतंत्र प्रदायकर्ता उसी प्रकार और उसी क्वालिटी की मूंगफलियों की प्रदाय उक्त अभिकर्ता को चार हजार पांच सौ पचास रूपए प्रति क्विंटल की कीमत पर कर रहा है, वहां प्रधान द्वारा की गई प्रदाय का मूल्य चार हजार पांच सौ पचास रूपए प्रति क्विंटल होगा या जहां वह विकल्प का प्रयोग करता है, वहां मूल्य पांच हजार रूपए का नब्बे प्रतिशत अर्थात् चार हजार पांच सौ रूपए प्रति क्विंटल होगाः

(ख) जहां प्रदाय का मूल्य खंड (क) के अधीन अवधार्य नहीं है, वहां उसे उस क्रम में नियम 30 या नियम 31 को लागू करके अवधारित किया जाएगा।

www.cggst.com